

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ.4(ई) (1) (6) / अलेसे-1A /

दिनांक :- ११.०६.२०१२

आदेश संख्या 107 / 2012-13

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2008 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुसारानुसार चयनित सूची में से निम्न अभ्यर्थी को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन कनिष्ठ लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रु 10000/- प्रतिमाह के स्थाई पारिश्रमिक पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्ण होने के पश्चात् पे-बैण्ड (2) 9300-34800 में ग्रेड पे 3200 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे अथवा अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संबंध में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1 (2) वित्त/नियम/०६ दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उनके द्वारा उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वे निम्नांकित तालिका में उसके सामने अंकित दिभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करें :—

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	नाम / पिता का नाम सर्वश्री	श्रेणी	जन्मतिथि	पदस्थापन कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	31	कविता जसोरिया पुत्री श्री गोपाल जसोरिया (रोल नं० 100850)	SC	08.09.1985	निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	एकत्र पद पर

उपरोक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन दी जा रही है :—

1. उपरोक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकसित नियमों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, आरक्षी, श्री.आरू.डी. (रीवी) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की शर्त पर है।
4. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला रत्तर के राजकीय रवारश्य अधिकारी या उसके उच्च रत्तर के अधीकारी से रवारश्य के संबंध में संतोषजनक रवारश्य प्रमाण-पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रत्यक्ष दर्शाया जाना चाहिए।
5. अभ्यर्थी को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की विधि में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आनश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि रवविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें उक्त सेवा से गुक्त किया जा सकेगा।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किरी भी प्रकार के भत्ते यथा (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होंगे।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में रांतोष्प्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दश कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं हैं तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण/अहंता प्राप्त कर लेने पर एवं अन्य रूप से स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझ जाने की दशा में जब भी उपयुक्त स्थायी रिक्त पद उपलब्ध होंगे इनको राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी आधार पर नियुक्त कर सकेगी।
- उदत्त नियुक्ति माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलक्षियां एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दो गुना राशि का भुगतान उसे एक मूरत राजकोष में जमा कराना होगा।

उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में दिनांक 21 जून, 2012 से 7 दिवस में यथासमय निश्चित रूप से उपरिथित देकर इस विभाग को सूचित करेंगे अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट कमांक एवं वैदेशी वर्ष का उल्लेख अवश्य करें।

निदेशक

कमांक एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे-111/ २८/८ - २८/२५

दिनांक :- 21.06.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
- शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- निदेशक, ह.च.मा.राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर
- कोषाधिकारी, अजमेर
- निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि वे संबंधित कार्मिक की कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावे ;
- श्रीमती कविता जसोरिया पुत्री श्री गोपाल जसोरिया पता म0न0 333/44, कमला बावड़ी गंज, अजमेर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना प्रेषित करावें।
- निजी सहायक, निदेशक
- कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)
- रक्षित/निजी पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक-ग)